

न्याय: कानूनी, राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक न्याय के संदर्भ में (Justice)

न्याय - आधुनिक राजनीतिक संकल्पनाओं में न्याय समानता तथा अधिकार आदि की अवधारणा राजनीतिक सिद्धांत की मूल संकल्पनाएं हैं। न्याय के बिना परिस्थितियों में समानता नहीं बन सकती है। समानता का प्रयोजन न्याय के अनुरूप होता है।

लैटिन के शब्दों Jus, Justus, Justitia आदि से व्युत्पन्न शब्द Justice का मूलतः अर्थ जोड़ना अथवा बांधना है।

वर्कर " अपने व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ में न्याय का अर्थ बाध्यकारी नियमों का समूह है जिसमें न्यायालय बाध्यकारी मानते हुए लागू करता है।"

समयानुसार न्याय का अर्थ बदलते रहा है।

प्राचीन ज्ञान में लोकियों के अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है (थ्रेसीमेकस), प्लेटो ने न्याय की अवधारणा में नैतिक और नीतिशास्त्र के तत्व शामिल किए। सामाजिक हित के लिए अपनी पूरी योग्यता और क्षमता से अपने कर्तव्य का निर्वाह करना न्याय होता है।

अरस्तू का कहना है कि व्यक्तियों के साथ यथा योग्य व्यवहार करना ही न्याय है।

रोमन विचारकों ने न्याय का कानून व्यवस्था बनाने वाले तंत्र की संज्ञा दी है ये कानून समाज की परंपराओं, विद्यायिका, विद्यायिका के पुस्तकों तथा न्याय मंडल के निर्णयों में जोड़ते होते हैं।

संवेद धर्मस्य यद्विनाश 4 4 प्रकार के कानूनों की चर्चा है - 1. शाश्वत कानून 2. प्राकृतिक कानून - जो मनुष्य की कुट्टि आत्मा तथा तर्क में मिलता है। 3. दैवीय कानून 4. मानवीय कानून ।

18वीं 19वीं सदी के विचारक कानून को ही न्याय की सूर्त अभिप्रेषित मानते थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं के विकास के साथ साथ कानूनी और राजनीतिक मामलों में समाज के सभी वर्गों की बराबरी की दिस्योदारी ही न्याय कहलाने लगी। उदारवादी <sup>न्याय</sup> कानून का अर्थ कानूनी और राजनीतिक समानता से लेते हैं। मार्क्सवादियों ने सामाजिक आर्थिक न्याय के विचारों को रखा कुहा कि न केवल कानून न्यायोचित हो बल्कि पूरी सामाजिक व्यवस्था न्यायपूर्ण होनी चाहिए। पूर्ण समतावादी समाज वही है, जिसमें सभी संस्थाधर्मों पर समाज का शासन नियंत्रण हो।

भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतन में न्यायको अचिठ महत्व दिया गया है। और मनु, कौटिल्य, वृहस्पति, शुक्र भारद्वाज तथा सोमदेव के द्वारा राज्य की व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

न्याय की चारणा में मुख्यतः दो आधार हैं - स्वतंत्रता और समानता ।

लेस के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत समाज को तीन वर्गों में विभाजित किया है दार्शनिक वर्ग जिसके मुख्य लक्ष्य ज्ञान है, सैनिक वर्ग (मनोवेग), उत्पादक वर्ग (तृष्णा) में है। ये तीनों वर्गों, शाहस और संयम की सदगुण मानते हैं जो कि न्याय है (The Republic) अरस्तू के अनुसार, न्याय का संशुद्ध मानवीय संवेधों के नियमन से है।

